न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु.न.	तारीख रजु	तारीख निर्णय
38/2025	23/09/2025	29.5.26

बृजमोहन
रामजीलाल | पुत्रान बद्री जाति माली निवासी तलावडा तहसील तलावडा जिला सवाई माधोपुर

--वादीगण--

बनाम

कैलाश चन्द पुत्र गुलवा
गल्लो देवी पुत्री गुलवा
गिर्राज पुत्र गुलवा
चलती देवी पुत्री गुलवा
भरोसी देवी पुत्री गुलवा
भोती देवी पुत्री गुलवा
मिठालाल पुत्र गुलवा | पुत्रान बद्री जाति माली निवासी तलावडा तहसील तलावडा जिला सवाई माधोपुर

उपपंजीयक जरिये तहसीलदार तलावडा
लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील तलावडा --प्रतिवादीगण--

दावा बावत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः- श्री तरूण शर्मा एडवोकेट वादीगण की और से।

निर्णय

वादीगण ने दावा इस आशय का पेश किया है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 616 रकवा 0.43 है0 स्थित ग्राम तलावडा तहसील तलावडा जिला सवाई माधोपुर स्थित है वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 की सहखातेदारी की भूमि है जिसका राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी अंकित चला आ रहा है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की सहखातेदारी की है। तथा पक्षकारान मुकदमा भूमि पर हिस्सेनुसार काश्त करते चले आ रहे है उक्त भूमि रिकॉर्ड मे शामलाती है किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

पाबन्द फरमाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 झगडालू किस्म के खतरनाक व्यक्ति है जो कानून कायदे मे विश्वास नही रखते है वे जब तक अपनी बेजा हरकतो में जब तक बाज नही आयेंगे तब तक उन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही फरमाया दिया जाता। भूमि हाल खसरा नम्बर 616 रकवा 0.43 है0 स्थित ग्राम तलावडा तहसील तलावडा जिला सवाई माधोपुर है का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के बाद पत्र के साथ नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित सीमाओ के मध्य दर्शित भूमि व कब्जे अनुसार हिस्सेनुसार विभाजन किया जावे व अलग अलग जमाबन्दी कायम की जाकर नक्शा ट्रेस व लैण्ड रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे, व सरकारी कागजात व लैण्ड रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस तरह से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद विभाजन वादीगण को प्राप्त भूमि हाल खसरा नम्बर खसरा नम्बर 616 रकवा 0.43 है0 स्थित ग्राम तलावडा तहसील तलावडा जिला सवाई माधोपुर है के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वंय पैदा करे ना ही किसी अन्य से करावे, व भूमि से वादीगण को बेदखल नही करे, एवं वादी द्वारा काश्त करने में किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा नही करे, एवं वादीगण के द्वारा काश्त की गयी फसल को नष्ट नही करे ना ही अन्य से करावे। व बिना विभाजन मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे व बिना विभाजन किये भूमि पर निर्माण नही करे, मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 बावजूद सूचना हाजिर अदालत उपस्थित नही हुये। इसलिये उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से तहसीलदार प्रतिनिधि उपस्थित हुये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:47:46 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र के समर्थन मे वादीगण ने जमाबन्दी सम्बत 2070–73 खाता संख्या 362 ग्राम तलावडा तहसील तलावडा प्रस्तुत किये है।

वादी का दावा तहसीलदार तलावडा से विभाजन स्कीम मंगवाये जाने

हेतु दिनांक 13/03/2026 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार तलावडा से दिनांक 20/04/2026 को विभाजन निम्न अनुसार प्राप्त हुई :-

बृजमोहन पुत्र बद्री हिस्सा पूर्ण जाति माली खसरा नम्बर 616/5 रकबा 0.1387 है0 सा0दे0 खातेदार

रामजीलाल पुत्र बद्री हिस्सा पूर्ण जाति माली खसरा नम्बर 616/4 रकबा 0.1387 है0 सा0दे0 खातेदार

कैलाश पुत्र गुलबा हिस्सा 1/7, गल्लो देवी पुत्री गुलबा हिस्सा 1/7, गिर्राज पुत्र गुलबा हिस्सा 1/7, चलती देवी पुत्री गुलबा हिस्सा 1/7, भरोसी देवी पुत्री गुलबा हिस्सा 1/7, भौती देवी पुत्री गुलबा हिस्सा 1/7, मीठालाल पुत्र गुलबा हिस्सा 1/7 खसरा नम्बर 616/1 रकबा 0.975 है0 सा0दे0 खातेदार

बृजमोहन पुत्र बद्री हिस्सा 1/2, रामजीलाल पुत्र बद्री हिस्सा 1/2 जाति माली खसरा नम्बर 616/3 रकबा 0.015 है0 सा0दे0 खातेदार

बृजमोहन पुत्र बद्री हिस्सा 3/8, रामजीलाल पुत्र बद्री हिस्सा 3/8, कैलाश पुत्र गुलबा हिस्सा 1/28, गल्लो देवी पुत्री गुलबा हिस्सा 1/28, गिर्राज पुत्र गुलबा हिस्सा 1/28, चलती देवी पुत्री गुलबा हिस्सा 1/28, भरोसी देवी पुत्री गुलबा हिस्सा 1/28, भौती देवी पुत्री गुलबा हिस्सा 1/28, मीठालाल पुत्र गुलबा हिस्सा 1/28 खसरा नम्बर 616/2 रकबा 0.04 है0 सा0दे0 खातेदार प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान अधिवक्ता विभाजन स्कीम पर सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा तहसीलदार तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार वादीगण का हिस्सा विभाजित किया जाकर वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवं उसमे प्रस्तुत विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। चूंकि दावा विभाजन का है एवं वादीगण विभाजन स्कीम अनुसार विभाजन करवाये जाने पर सहमत है। इसलिय वादीगण का दावा मुताबिक विभाजन स्कीम अनुसार डिक्री किया जाना प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर तहसीलदार तलावडा को

कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

आदेशित किया जाता है कि:-

बृजमोहन पुत्र बद्री हिस्सा पूर्ण जाति माली खसरा नम्बर 616/5 रकबा 0.1387 है0 सा0देह0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे।

रामजीलाल पुत्र बद्री हिस्सा पूर्ण जाति माली खसरा नम्बर 616/4 रकबा 0.1387 है0 सा0देह0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे।

कैलाश पुत्र गुलबा हिस्सा 1/7, गल्लो देवी पुत्री गुलबा हिस्सा 1/7, गिर्राज पुत्र गुलबा हिस्सा 1/7, चलती देवी पुत्री गुलबा हिस्सा 1/7, भरोसी देवी पुत्री गुलबा हिस्सा 1/7, भौती देवी पुत्री गुलबा हिस्सा 1/7, मीठालाल पुत्र गुलबा हिस्सा 1/7 खसरा नम्बर 616/1 रकबा 0.975 है0 सा0देह0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे।

बृजमोहन पुत्र बद्री हिस्सा 1/2, रामजीलाल पुत्र बद्री हिस्सा 1/2 जाति माली खसरा नम्बर 616/3 रकबा 0.015 है0 सा0देह0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे।

बृजमोहन पुत्र बद्री हिस्सा 3/8, रामजीलाल पुत्र बद्री हिस्सा 3/8, कैलाश पुत्र गुलबा हिस्सा 1/28, गल्लो देवी पुत्री गुलबा हिस्सा 1/28, गिर्राज पुत्र गुलबा हिस्सा 1/28, चलती देवी पुत्री गुलबा हिस्सा 1/28, भरोसी देवी पुत्री गुलबा हिस्सा 1/28, भौती देवी पुत्री गुलबा हिस्सा 1/28, मीठालाल पुत्र गुलबा हिस्सा 1/28 खसरा नम्बर 616/2 रकबा 0.04 है0 सा0देह0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज किया जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का जूज रहेगी पर्चा डिक्री पृथक से जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.5.24 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी